प्रेस नोट
जनपद सीतापुर
थाने का टॉप-10 का अपराधी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध एवम् अपराधियों पर नियंत्रण हेतु जनपद पुलिस को वृहद एवम् सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में आज दिनांक 06.10.2020 को थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय के टॉप-10 के अपराधी वीरेन्द्र पुत्र भगौती निवासी सरवाजलालपुर थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर को जुड़नापुर लौना चौराहे से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिसके कब्जे से एक अदद तंमचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना रामपुर कलां पर मु0अ0सं0 262/20 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही पश्चात् अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त अभ्यस्त पेशेवर व थाने का टॉप-10 का अपराधी है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध चोरी/लूट जैसे अभियोग पंजीकृत है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

- वीरेन्द्र पुत्र भगौती निवासी सरवाजलालपुर थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना रामपुर कलां

1. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार
2. हे0का0 बृजेश कुमार

अभियुक्त वीरेन्द्र पुत्र भगौती निवासी सरवाजलालपुर थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 48/16 धारा 60 EX ACT थाना रामपुरकलाँ सीतापुर
2. मु0अ0स0 127/17 धारा 60 EX ACT थाना रामपुरकलाँ सीतापुर
3. मु0अ0स0 23/18 धारा 60 EX ACT थाना रामपुरकलाँ सीतापुर
4. मु0अ0स0 145/19 धारा 392/411 IPC थाना रामपुरकलाँ सीतापुर
5. मु0अ0स0 146/19धारा 25(1-B) A ACT थाना रामपुरकलाँ सीतापुर
6. मु0अ0स0 46/20धारा 379/411 IPC थाना रामपुरकलाँ सीतापुर
7. मु0अ0सं0 233/20 धारा 25(1-B) A ACT थाना रामपुरकलाँ सीतापुर